राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग

**कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन,**

दीपक नगर, जयपुर रोड, अजमेर–305006

क्रमांक : एजेजेड/1120/एमपी/डेगाना/24/ 1118 दिनांक : 07/11/24

मुख्य नगर नियोजक,
राजस्थान, जयपुर

विषय : डेगाना मास्टर प्लान–2041 (प्रारूप) को जारी किये जाने की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन करवाने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है नगरीय विकास विभाग की संशोधित अधिसूचना दिनांक 16.02.2023 की अनुपालना में डेगाना मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष–2041 (प्रारूप) तैयार किया जाकर राजस्थान नगर सुधार अधिनियम–1959 की धारा 5(1) के अन्तर्गत जन साधारण की आपत्तियां/सुझाव हेतु दिनांक 27.11.2024 को प्रकाशित किया जाना है। इस हेतु अधिसूचना की दो प्रतियां मय सी.डी. तथा प्रारूप मास्टर प्लान पुस्तिका की प्रति संलग्न कर भिजवायी जा रही है। उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करवाने हेतु आपके माध्यम से अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को भिजवाने का श्रम करावें, ताकि उचित समय पर उक्त अधिसूचना का प्रकाशन हो सकें।

भवदीय

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

7/11/24

(मुकेश मित्तल)
अति.मुख्य नगर नियोजक,
अजमेर जोन, अजमेर।

ACP(W)

11/11/24

DTP(W)

11/11/24

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग

# कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन,

दीपक नगर, जयपुर रोड, अजमेर–305001

क्रमांक : एजेजेड / 1120 / एमपी / डेगाना / 24 / दिनांक :

## अधिसूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम–1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत अद्योहस्ताक्षरकर्ता को डेगाना (जिला नागौर) का सिविक सर्वे करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष–2041 तैयार करने हेतु नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। अतः राजस्थान नगर सुधार अधिनियम–1959 की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम, 1962 के नियम 3 के अन्तर्गत डेगाना (जिला नागौर) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान–2041 का प्रारूप तैयार कर जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा हैं। इस प्रारूप मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित हैं :–

| क्र.सं. | राजस्व ग्राम का नाम | |
|---|---|---|
| | अंग्रेजी | हिन्दी |
| 1. | CHANDAROON | चान्दारूण |
| 2. | DEGANA GAON | डेगाना गांव |
| 3. | GOREDI CHANCHA | गौरेड़ी चाचा |
| 4. | GOREDI KARNA | गौरेड़ी करणा |
| 5. | JHAGARWAS | झगड़वास |
| 6. | KITALSAR | कितलसर |
| 7. | LANGOD | लंगौड़ |
| 8. | RAWALIYAWAS | रावलियावास |
| 9. | RENWAT | रेंवत |
| 10. | TAMDOLI | तामडोली |
| 11. | TILANESH | तिलानेश |
| 12 | BAJIYASAR | बाजियासर |
| 13 | DEVNAGAR | देवनगर |

डेगाना मास्टर प्लान के इस प्रारूप के सम्बन्ध में राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की समयावधि में कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियाँ एवं सुझाव वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, दीपक नगर, जयपुर रोड, अजमेर–305001, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, डेगाना (जिला नागौर) अथवा मुख्य नगर नियोजक, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, राजस्थान, जयपुर–302004 के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। मास्टर प्लान के प्रारूप को उपरोक्त समयावधि में किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 27.11.2024 से 26.12.2024 तक प्रदर्शनी स्थल पंचायत समिति सभाकक्ष, डेगाना (जिला नागौर) में देखा जा सकता है। मास्टर प्लान के इस प्रारूप से सम्बन्धित पुस्तिका मय मानचित्र, कार्यालय नगर पालिका,डेगाना (जिला नागौर) से क्रय की जा सकती हैं।

(मुकेश मित्तल)
अति. मुख्य नगर नियोजक,
अजमेर जोन, अजमेर।

Scanned with OKEN Scanner